भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2605

<u>दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

दालों का निःशुल्क आयात

2605. श्रीमती अपरुपा पोद्दारः
डॉ. अमर सिंहः
श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्री बैन्नी बेहननः
श्री टी.एन. प्रथापनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दालों के निःशुल्क आयात की घोषणा के परिणामस्वरुप स्थानीय किसानों के लिए दाल की कीमत में होने वाली कमी से उन पर पड़ने वाले हानिकर प्रभावों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) किसानों द्वारा दाल की बुआई की मात्रा पर इसके गिरते मूल्य के प्रभाव का सरकार ने आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ड.) क्या सरकार ने उन व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है जिन्होंने अधिक मूल्य पर अनाजों की खरीद की है तथा उनका भंडारण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और उसके आयात के अंतर्वाह को सुगम बनाने के लिए, 15 मई 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक की सीमित अवधि के लिए तूर, उड़द और मूंग को प्रतिबंधित श्रेणी से मुक्त श्रेणी में परिवर्तित करके आयात नीति में बदलाव किया गया है। 2021–22 सीजन के लिए तूर मूंग और उड़द जैसी दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रमशः 6300 रुपये, 7275 रुपये और 6300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछल दो महीनों के दौरान चना, तूर, उड़द और मूंग आदि के थोक बिक्री मूल्यों में उतार–चढ़ाव देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर इस अवधि के दौरान दालों की कीमतें एमएसपी से अधिक रही है।

(ग) और (घ): इन दालों की बुवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। 2019—20 में बुवाई के अंतर्गत आने वाला अनुमानित क्षेत्र 13646.32 हजार हेक्टेयर था जबकि 2020—21 में यह 13755.61 हजार हेक्टेयर था।

(ड.) और (च): दालों के आयात की अनुमति है और आयात की मात्रा किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समग्र उपलब्धता और कीमत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। उक्त प्रभाव का ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

*****

भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं० 2708**

<u>दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण

2708. डॉ. चन्द्र सेन जादौनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन करने, प्रश्न का उत्तर देने और लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को डिजिटल करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख)ः दिनांक 23.03.2021 से प्रतिबंधित मदों के लिए लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस है। इसमे आयात लाइसेंस जारी करने, उनमें संशोधन करने और पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया शामिल है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) हेल्पडेस्क सेवा प्रतिबंधित मदों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने हेतु पूछताछ सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक सिंगल–प्वाइंट टिकट–आधारित प्रणाली है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं.229**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

फ्रेट स्मार्ट सिटीज़

***229. डॉ. सुकान्त मजूमदार :**
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों में माल ढुलाई व्यवस्था की दक्षता में सुधार करने तथा संभार-तंत्र संबंधी लागतों में कमी लाने के लिए अवसर सृजित करने के लिए 'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' को विकसित करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शहरी माल ढुलाई व्यवस्था में सुधार करने हेतु 'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' संबंधी वेबसाइट भी आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने 'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' के रूप में विकसित किए जाने के लिए आरंभ में दस शहरों की पहचान करने हेतु राज्य सरकारों से आग्रह किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'फ्रेट स्मार्ट सिटीज़' विषय पर दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 229 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : वर्तमान में सरकार देश में फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ के विकास की संभावना को तलाशने के लिए राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, तकनीकी संस्थानों, आदि के साथ स्टेकहोल्डर विचार-विमर्श कर रही है।

(ख) : जी, हां। वेबसाइट में अवधारणा, संसाधन तथा दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई है।

(ग) : राज्य सरकारों से फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकसित किए जाने के लिए शहरों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है। स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श के दौरान एक इनपुट यह रहा कि इसे ऐसे 10 शहरों की सूची के साथ आरंभ किया जाए, जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) : शहरी फ्रेट में सुधार लाने के लिए राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा नियमित रूप से अलग-अलग उपाय किए जाते हैं। सरकार ने संबद्ध एवं सुनियोजित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शहरों को सुरक्षित तथा और अधिक रहने योग्य बनाकर शहरों के लॉजिस्टिक्स में सुधार करने के लिए राज्यों, तकनीकी संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विभिन्न स्टेकहोल्डर वार्ताएं की हैं। *'इन्हान्सिंग अर्बन फ्रेट सिस्टम्स'* संबंधी एक मार्गदर्शी दस्तावेज जिसमें शीघ्र कार्यान्वयन के लिए 14 प्रमुख सुझाए गए उपायों को दिया गया है, को राज्यों के साथ 2 जुलाई, 2021 को साझा किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दक्ष शहरी माल ढुलाई पर फरवरी, 2019 में एक विचार-विमर्श पत्र शुरू किया है जिसमें तीन दस्तावेज अर्थात् नीति रूपरेखा, नीति वर्कबुक तथा आकलन मैट्रिक्स हैं।

******

भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **तारांकित प्रश्न सं.239**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

सिलचर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का परिसर

***239. डॉ. राजदीप राय :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथ्य पर विचार करते हुए कि पूर्वोत्तर की 98 प्रतिशत सीमा दूसरे देशों से लगती है, क्या सरकार की योजना सिलचर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) का कोई परिसर आरंभ करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'सिलचर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का परिसर' विषय पर दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 239 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : सिलचर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) का परिसर आरंभ करने का इस समय भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताएं आईआईएफटी के कोलकाता परिसर द्वारा पूरी की जा रही हैं।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2577

दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

रबड़ की खेती का पुनरूद्धार

2577 श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'आत्मनिर्भर' योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में असम में रबड़ की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए नई योजना को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रबड़ की खेती के पुनरूद्धार के लिए धनराशि/अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): रबड़ बोर्ड असम सहित देश में प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का विकास करने के लिए "प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का संधारणीय और समावेशी विकास" स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। स्कीम का मुख्य फोक्स रबड़ की खेती के तहत अधिक क्षेत्र को लाकर घरेलू रबड़ उत्पादन को बढ़ाना है। इस स्कीम का उद्देश्य प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत के बीच व्याप्त मौजूदा अंतर को कम करना, प्राकृतिक रबड़ के आयात को कम करना और देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए भारत को स्वावलंबी बनाना है।

(ख): इस स्कीम के मुख्य घटकों में लघु उत्पादकों को रबड़ के पेड़ों के नए रोपण और पुनर्रोपण, दोनों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता और उत्पादित रबड़ की गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का वितरण, अच्छी कृषि पद्धतियों के लिए सहायता, रोगों की रोकथाम के लिए उपाय, रबड़ उत्पादक सोसाइटियों (आरपीएस) जैसे उपजकर्ताओं के फोरम को बढ़ावा देना; समूह प्रसंस्करण केन्द्रों (जीपीसी) की स्थापना करना, प्रसंस्करण के लिए सहायता, टैपरों के लिए प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों का सृजन और रोपण कामगारों के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय करना आदि शामिल है।

(ग) और (घ): मध्यावधि फ्रेमवर्क (2017-18 से 2019-20) के दौरान, स्कीम के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड को 568.44 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई। तत्पश्चात, क्षेत्र के लाभ के लिए स्कीम का विस्तार किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 187.69 करोड़ रूपए जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 190 करोड़ रूपए आबंटित किए गए है। मध्यावधि फ्रेमवर्क अवधि (2017-18 से) के दौरान, 35,700 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल को रबड़ रोपण के तहत लाया गया है। वर्ष 2021–22 के लिए रोपण लक्ष्य 13,500 हेक्टेयर है।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **2658**

<u>दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

"मुक्त व्यापार समझौता"

2658 श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता या किसी अन्य प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या डेयरी और अन्य ताजे उत्पाद इस समझौते में शामिल हैं;
(घ) यदि हां, तो इस समझौते में से किन–किन वस्तुओं को बाहर रखा गया है;
(ड.) क्या इस क्षेत्रीय व्यापार समझौते के कुछ बिन्दुओं की पुनरीक्षा की कोई योजना है, जो भारत के आर्थिक हित में नहीं है ;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(छ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा उन क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की सूची क्या है जो भारत के आर्थिक हित में नहीं हैं?

उत्तर
<u>**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): जी हाँ । भारत और यूरोपीय संघ संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार करार के लिए वार्ता को पुन:आरंभ करने पर सहमत हुए हैं। मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वार्ताएं, जिनमें विशिष्ट मुद्दों पर वार्ताएं शामिल हैं, दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जानी है। एफटीए वार्ताओं में शामिल / अपवर्जित वस्तुओं को, वार्ता पुन:आरंभ होने पर पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ड.) से (छ): घरेलू उद्योग को लाभान्वित करने के लिए देश की निर्यात क्षमता को अधिकतम करने तथा एफटीए को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सरल और व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा एफटीए की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2664

दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन

2664 श्रीमती शर्मिष्ठा सेठीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वैश्विक व्यापार में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सभी योजनाओं/हस्तक्षेपों और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में कारोबारी माहौल में सुधार लाने और विदेशी निवेश लाने के लिए औद्योगिक नीति में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुक्त व्यापार समझौतों में बेहतर प्रदर्शन के संबंध में अन्य देशों की तुलना में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और समय–समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। प्रमुख स्कीम/उठाए गए कदम निम्नानुसार हैंः

I. कोविड–19 महामारी के दौरान स्थिर व्यवस्था प्रदान करने हेतु विदेश व्यापार नीति को दिनांक 30.09.2021 तक बढा दिया गया है।

II. निर्यात उत्पादन हेतु कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात को समर्थ बनाने हेतु स्कीम जैसे कि अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

III. ब्याज समकरण स्कीम, जो पूर्व और पश्च पोतलदान रुपए निर्यात क्रेडिट प्रदान करती है, को दिनांक 30.09.2021 तक बढ़ाया गया है।

IV. दिनांक 01.01.2021 से निर्यातों हेतु निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम को प्रचालित किया गया है।

V. परिधान और मेड–अप्स के निर्यात हेतु राज्य और केन्द्रीय लेवी और करों की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम को मार्च, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

VI. कृषि उपज के माल भाडे के अंतरराष्ट्रीय संघटक और विपणन हेतु सहायता प्रदान करने और विनिर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों हेतु ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने के लिए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम

VII. निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

VIII. हमारे विशाल देश की पूर्ण निर्यात क्षमता का लाभ उठाने के लिए, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करके, इन उत्पादों/सेवाओं के निर्यात के लिए बाधाओं को दूर करके और संस्थागत और कार्यनीतिक कदमों के माध्यम से स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता देकर जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। 478 जिलों के लिए जिला विशेष निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है।

IX. सेवाओं के निर्यात को बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से सार्थक बाजार पहुंच पर बातचीत करके, सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी जैसे अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और आयोजन के माध्यम से सहायता दी जा रही है। अभिज्ञात नोडल मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से चिन्हित किए गए चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'एक्शन प्लान फॉर चैंपियन सैक्टर इन सर्विसेस' तैयार किया जा रहा है।

X. बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे निर्यात बाजार अनुसंधान और उत्पाद विकास, उत्पाद पंजीकरण, मेलों, प्रदर्शनियों का आयोजन/भागीदारी और विदेश में क्रेता–विक्रेता मीट (बीएसएम), रिवर्स क्रेता–विक्रेता मीट्स इत्यादि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान की जा रही है।

XI. निर्यात अवसंरचना के विकास पर समन्वित और फोकसयुक्त ध्यान के लिए, व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर एक कार्य समूह का गठन किया गया है और एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) तैयार की गई है। इसमें बंदरगाहों के लिए सड़क और रेल संपर्क में सुधार और बंदरगाहों पर स्मार्ट गेट शामिल हैं।

(ख) सरकार कारोबारी माहौल में सुधार लाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के जरिए भारतीय उद्योग को मजबूत करने में लगातार लगी हुई है। हाल के दिनों में किए गए उपायों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए, 13 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें लागू की जा रही हैं। सरकार ने कुछ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा भी शुरू की है ताकि घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाने के साथ–साथ उन्हें उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल, सरल और व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु इसकी निर्यात क्षमता को इष्टतम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता भी शुरू की गई है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 04.08.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्र. सं. 2644 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

भारत सरकार का एक समर्थकारी और निवेशक अनुकूल नीति निर्धारित करने का निरंतर प्रयास रहा है। विगत केवल दो वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति से सभी क्षेत्रों जैसे कोयला खनन, अनुबंध विनिर्माण, डिजीटल मीडिया, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, मध्यस्थों अथवा बीमा मध्यस्थों, नागर विमानन, रक्षा और बीमा में निम्नलिखित सुधार शुरू किए गए हैं:—

(i) प्रेस नोट सं. 4(2019) दिनांक 18.09.2019 के तहत व्यापार करने को सुगम बनाने तथा निवेश आकर्षित करने हेतु एफडीआई नीति को उदार और सरल बनाने के लिए एफडीआई नीति में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:—

क) कोयले की धुलाई, पीसने, कोयला हैंडलिंग, पृथक्कीकरण (चुम्बकीय और गैर चुम्बकीय) सहित सम्बद्ध प्रोसेसिंग अवरसंचरना को शामिल करते हुए कोयला खनन हेतु ऑटोमैटिक मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दी गई है। पूर्व में केवल कैप्टिव खपत के लिए कोयला खनन में मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी।

ख) विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत अनुबंध विनिर्माण के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अनुबंध विनिर्माण में ऑटोमैटिक मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई को अनुमत किया जाए तथा कानूनी रूप से उचित अनुबंध के माध्यम से अनुबंध विनिर्माण में अब 100 प्रतिशत एफडीआई अनुमत है।

ग) एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (एसबीआरटी) में एफडीआई हेतु स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को सरल किया गया है तथा एसबीआरटी इकाई द्वारा भारत से की जाने वाली संपूर्ण खरीद को स्थानीय सोर्सिंग में गिना जाएगा चाहे खरीदी हुई वस्तुएं भारत में बेची गई हों या निर्यात की गई हों। इसके अतिरिक्त, अब वैश्विक प्रचालन हेतु भारत से वस्तुओं की सोर्सिंग एसबीआरटी इकाई अथवा इसकी समूह कपंनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा तीसरे पक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। नई नीति के अनुसार वैश्विक प्रचालनों हेतु भारत से संपूर्ण सोर्सिंग को पूर्व में वृद्धिशील सोर्सिंग के विपरीत स्थानीय सोर्सिंग की आवश्यकता माना जाएगा। अब ई—कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार को परम्परागत स्टोर खोलने से पूर्व शूरू किया जा सकता है बशर्ते कि इकाई ऑनलाइन खुदरा व्यापार शुरू करने की तिथि से 2 वर्षों के अंदर परम्परागत स्टोर खोल ले।

घ) एफडीआई की नीति के अनुसार "समाचार और समसामयिक मामलों" हेतु टीवी चैनलों के मामले में सरकारी मार्ग के तहत 49 प्रतिशत एफडीआई और सरकारी अनुमोदन के साथ प्रिंट मीडिया के मामले में 26 प्रतिशत एफडीआई अनुमत है। हालांकि, डिजीटल मीडिया के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए सरकारी मार्ग के अंतर्गत डिजीटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसायिक मामलों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग हेतु 26 प्रतिशत एफडीआई को अनुमत किया गया है।

(ii) बीमा क्षेत्रः प्रेस नोट—1(2020) दिनांक 21.02.2020 के तहत बीमा ब्रोकरों, पुनःबीमा ब्रोकरों, बीमा परामर्शियों, कॉपोरेट एजेंटों, तृतीय पक्ष प्रशासकों, सर्वेक्षको और हानि आकलनकर्ताओं और समय—समय पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी अन्य इकाईयों सहित मध्यस्थों अथवा बीमा मध्यस्थों को 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। प्रेस नोट 2(2021) दिनांक 14.06.2021 के तहत ऑटोमैटिक मार्ग के अंतर्गत बीमा कंपनियों के लिए अनुमत

एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को अनुमत किया गया।

(iii) नागर विमाननः प्रेस नोट सं. 2(2020) दिनांक 19.03.2020 के तहत मैसर्स एयर इण्डिया लि. में अनिवासी भारतीयों जो भारत के नागरिक है, के द्वारा ऑटोमैटिक मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश (निवेशों) की अनुमति दी गई है।

(iv) कोविड–19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहणों/अधिप्राप्ति को रोकनाः कोविड–19 महामारी की वजह से भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहणों/अधिप्राप्ति को रोकने के लिए प्रेस नोट 3(2020) दिनांक 17.04.2020 के तहत सरकार ने एफडीआई नीति संशोधित की जिसके अनुसार किसी ऐसे देश की इकाई, जो भारत के साथ भू–सीमा सांझा करता है अथवा जहां भारत में किए गए निवेश का लाभार्थी स्वामी स्थित है अथवा ऐसे किसी देश का नागरिक है तो वह सरकारी मार्ग के अंतर्गत ही निवेश कर सकती है। इसके अलावा, भारत में किसी इकाई में मौजूदा अथवा भावी एफडीआई के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के मामले में जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी स्वामित्व उक्त नीति संशोधन के प्रतिबंध/अधिकार–क्षेत्र में आता है, ऐसे तदोपरांत लाभार्थी स्वामित्व में परिवर्तन के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा।

(v) रक्षा क्षेत्रः प्रेस नोट सं. 4(2020 सीरीज) दिनांक 17.09.2020 के तहत अधिसूचित एफडीआई नीति में संशोधन किए गए हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार किया जा सके। अब रक्षा क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस मांगने वाली कंपनियों हेतु ऑटोमैटिक मार्ग से 74 प्रतिशत तक (पूर्व में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर) एफडीआई को अनुमति दी गई है। 74 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक एफडीआई को सरकारी मार्ग के अंतर्गत अनुमत किया जाएगा। मौजूदा एफडीआई अनुमोदित धारकों/रक्षा लाइसेंस धारकों हेतु 49 प्रतिशत तक नए विदेशी निवेश को डालने का कार्य जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी/शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव होगा को 30 दिनों के अंदर घोषणा करके किया जा सकता है (पूर्व में सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित था)। अब रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश का राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर पुनरीक्षण होगा।

(vi) प्रेस नोट 1(2021) दिनांक 19.03.2021 के तहत अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा डाउनस्ट्रीम निवेश करने के संबंध में स्पष्टता प्रदान की गई है जिसके अनुसार एफईएम (गैर ऋण दस्तावेज) नियम 2019 की अनुसूची IV में यथा निर्धारित गैर प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश को घरेलू निवेश माना जाता है जो निवासियों द्वारा किए जाने वाले निवेश के समान है।

2. राज्यों को व्यापार सरलीकरण और अनुपालन के बोझ को कम करने हेतु सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 5 राज्यों अर्थात गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर आगे सुधार करने हेतु सात मापदंडों अर्थात एकल विन्डो प्रणाली, भूमि/संपत्ति, कर अर्थात अनुपालन, श्रम कानून संबंधी अनुपालन, निरीक्षण तंत्र का युक्तिकरण, संभार तंत्र लागत, विवाद समाधान तंत्र को चिन्हित किया गया है।

3. एफडीआई की नीति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप देश में एफडीआई के प्रवाह में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में भारत में एफडीआई का प्रवाह 45.15 बिलियन अमरीकी डालर था जो तब से लगातार बढ़ा है। वर्ष 2015–16 में एफडीआई का प्रवाह बढ़कर 55.56 बिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 2016–17 में 60.22 बिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 2017–18 में 60.97 बिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 2018–19 में 62.00 बिलियन अमरीकी डालर, वर्ष 2019–20 में 74.39 बिलियन अमरीकी डालर हुआ और भारत ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में अब तक को उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्रवाह 81.72 बिलियन अमरीकी डालर (अनंतिम आंकड़े) दर्ज किया।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2722

दिनांक 4 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

अटारी-बाघा सीमा सड़क व्यापार

2722. श्री गुरजीत सिंह औजला :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्थल-बद्ध देशों और यूरोप के साथ व्यापार की अनुमति देने के लिए अटारी-बाघा सीमा चौकी का उपयोग करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अटारी - बाघा भूमि मार्ग से व्यापार से, इन देशों के साथ चीन के सड़क व्यापार का काफी हद तक मुकाबला करने तथा विशेष रूप से उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों और सामान्य रूप से उत्तर भारत के उद्योगों के बड़े पैमाने पर फलने-फूलने की क्षमता है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) : अटारी में अप्रैल 2012 में, स्थापित एक एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) भूमि आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुकर बनाती है। लैंडलॉक्ड देशों को वैकल्पिक और विश्वसनीय पहुँच मार्ग प्रदान करने की सुविधा देने के उद्देश्य से जनवरी 2015 में भारत ने अफगानिस्तान से और को माल लादने और उतारने के लिए आईसीपी अटारी होकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की अफगान ट्रकों को अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की। तथापि, पाकिस्तान, आईसीपी अटारी होकर अफगानिस्तान द्वारा आयातित भारतीय वस्तुओं के लिए अपने भू-भाग से होकर पारगमन की अनुमति नहीं देता है। अगस्त 2019 में पाकिस्तान द्वारा किए गए एकपक्षीय उपाय के कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य, आईसीपी अटारी से होकर सहित, द्विपक्षीय व्यापार बंद है।

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2756

दिनांक 4 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय उद्योग

2756. श्री पल्लब लोचन दास :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग एक विशेष नीलामी व्यवस्था के माध्यम से संचालित होता है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न चाय उत्पादक राज्यों में नीलामी की प्रक्रिया क्या है;

(ग) देश भर में नीलामी केंद्रों में दलालों का ब्यौरा और संख्या क्या है; और

(घ) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी मात्रा में चाय उत्पादित/आयातित की जाती है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : भारत में चाय की नीलामी का संचालन 7 नीलामी केंद्रों से अखिल भारतीय ई-नीलामी मंच और नए स्थापित जोरहाट नीलामी मंच से की जाती है। नीलामी का आयोजन चाय बोर्ड द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार किया जाता है। इसके नियम चाय बोर्ड की वेबसाइट http://www.teaboard.gov.in पर प्रदर्शित किए गए हैं। अखिल भारतीय ई-नीलामी मंच के लिए नीलामी नियम लॉट आकार, विभाज्यता इत्यादि को छोड़कर उत्तर और दक्षिण भारतीय नीलामी केंद्रों में एक समान हैं, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में चाय की उपलब्धता पर निर्भर हैं। जोरहाट नीलामी मंच पर नीलामी नियमों के पृथक सेट द्वारा शासित होती हैं, जहॉं कोई ब्रोकर शामिल नहीं होता।

(ग) अखिल भारत ई-नीलामी मंच में 25 ब्रोकर शामिल हैं। जोरहाट नीलामी मंच में कोई ब्रोकर नहीं है।

(घ) वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश वार उत्पादित चाय का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। आयात के राज्य वार ऑंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए देशवार आयात का विवरण अनुबंध- II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

चाय का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार उत्पादन

मिलियन कि.ग्रा.

राज्य	2020-21
असम	626.23
पश्चिम बंगाल	396.05
अरूणाचल प्रदेश	10.81
बिहार	6.33
हिमाचल प्रदेश	1.09
मेघालय	0.43
नागालैंड	1.52
सिक्किम	0.07
त्रिपुरा	8.21
उत्तराखण्ड	0.06
तमिलनाडु	160.04
केरल	66.85
कर्नाटक	5.34
संपूर्ण भारत	**1283.03**

अनुबंध - II

भारत में चाय का देश वार आयात

मिलियन कि.ग्रा.

उद्गम	2020-21
अर्जेंटीना	0.79
ऑस्ट्रेलिया	0.05
चीन	0.53
इंडोनेशिया	0.93
ईरान	0.06
केन्या	9.50
मालावी	0.24
मोजाम्बिक	0.55
म्यांमार	0.02
नेपाल	10.74
रवांडा	0.08
दक्षिण अफ्रीका	0.04
श्रीलंका	0.40
तंजानिया	0.33
टर्की	0.02
यू.ए.ई	0.07
यू.एस.ए	0.19
यूगांडा	0.05
यूनाईटेड किंगडम	0.32
वियतनाम	2.18
जिम्बाब्बे	0.18
कुल	27.27

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2759

दिनांक 4 अगस्त,2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

गोल्ड डोर बार्स

2759. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के संबंध में ऐसे गोल्ड डोर बार, जिसमें 95 प्रतिशत से अधिक सोने का तत्व नहीं है, का कितना प्रतिशत सरकारी कंपनियों द्वारा आयात किया गया है;

(ख) कीमती धातुओं और रत्नों के शोधन में लगी कंपनियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कीमती धातुओं और रत्नों के शोधन में शामिल होने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): गोल्ड डोर का आयात रिफाइनरियों द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त पर जारी लाइसेंस के आधार पर किया जा सकता है। डीजीएफटी ने विगत तीन वर्षों में किसी भी सरकारी कंपनी को आयात लाइसेंस जारी नहीं किया है।

(ख) से (घ): सरकार ने फरवरी, 2021 में स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम, 2015 (जीएमएस) में संशोधन किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शोधित स्वर्ण जमा स्कीम(आर-जीडीएस) तथा शोधित स्वर्ण धातु ऋण स्कीम (आर-जीएमएल), स्वर्ण परिष्करण में संलग्न संस्थाओं की सहायता तथा स्वर्ण परिष्करण में निवेशकों को आकर्षित करने के उपाय शामिल हैं, जैसे:

(i) बीआईएस द्वारा सीपीटीसी के रूप में प्रमाणित परिशोधनशालाओं की पहचान करना एवं जीएमएस मोबिलाइजेशन, संग्रहण एवं परीक्षण एजेंट (जीएमसीटीए) के रूप में आईबीए द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पात्रता शर्तों को पूरा करने का प्रावधान;

(ii) बैंकों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)/एलबीएमए या भारतीय वस्तु वितरण मानक (आईजीडीएस) का क्रियान्वयन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) प्रमाणित परिशोधनशालाओं से मानक स्वर्ण बुलियन खरीदने की अनुमति देना;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से स्वर्ण पट्टे पर लेने की जरूरत को कम करने के लिए आईजीडीएस/एलबीएमए स्टैंडर्ड बुलियन की इंटरबैंक लैण्डिंग की अनुमति देना ताकि गोल्ड मेटल लोन (जीएमएल) प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके ।

(iv) स्थानीय रूप से प्राप्त आईजीडीएस/एलबीएमए स्वर्ण का उपयोग करके जीएमएल के अंतर्गत स्वर्ण ऋण के पुनर्भुगतान की अनुमति देना।